


फर्द अहकाम  
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर  
अनिल कुमार बनाम लो.सू.अधि. तहसीलदार भरतपुर  
किस्म मुकदमा अपील RTI नम्बर 177 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.04.2024	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री अनिल कुमार पुत्र घमण्डी सिंह निवासी 426 ए, सेक्टर-3, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6 के तहत मूल प्रार्थना पत्रों (आरटीआई मूल आवेदन पत्र) की फोटो प्रति संलग्न नहीं की गई है। सूचना का अधिकार नियम 6 के तहत समस्त दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जाने आवश्यक है। अतः अपीलार्थी को प्राप्त मूल अपील को लौटाते हुए दस्तावेजात संलग्न कर पुनः अपील प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> <b>जिला कलक्टर</b> भरतपुर</p>	<p style="text-align: right;">283 29/04/24 सूचक अपील वापस लौटाई।</p>